विचार बिन्दु

चेहरा मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब है और आँखें बिना कहे दिल के राज़ खोल देती हैं। –सैंट जेरोमे

पहले हमें अपनी दृष्टि को स्वतंत्र करना होगा!

जमुई की विचलित कर देने वाली घटना ने एक बार फिर हमारे समाज में स्त्री की हैसियत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भले ही हम समय-समय पर यह कहकर अपनी पीठ थपथपाते रहें कि– **''यत्रनार्यस्तुपूज्यन्तेरमन्तेतत्रदेवताः।यत्रैतास्तु न पूज्यन्तेसर्वास्तत्राफलाःक्रियाः।''** अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। हमारे कर्म बताते रहते हैं कि हमारी सोच इसके विपरीत ही है।

आज मैं जमुई की घटना के हवाले से स्त्रियों के प्रति हमारी सामूहिक दृष्टि की बात करना चाहता हूँ। अगर यह घटना न भी घटित हुई होती, तो मैं यह सवाल जरूर उठाता कि आखिर क्यों एक स्त्री को हम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं देख पाते हैं?

यह सवाल उठाने का एक तात्कालिक संदर्भ यह भी था कि हाल में सम्पन्न हुए नगरपालिका चुनावों में मेरे वार्ड में, जो स्त्रियों के लिए आरक्षित था, हर प्रत्याशी ने अपनी प्रचार सामठी में अपने पति का सचित्र उल्लेख जरूरी समझा। उनके लिए एक नया और दिलचस्प पद भी रच डाला गया–'पूर्व पार्षद प्रत्याशी'! मैं बराबर सोचता रहा कि क्या कोई स्त्री अपने पति के नाम के सहारे के बिना चुनाव भी नहीं लड सकती? क्या इस स्थिति की जड़ें भी उसी ग्रंथ-नाम जानबूझकर नहीं ले रहा, ताकि अनावश्यक विवाद न हो–के इस कथन में हैं कि **''स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के वश में रहे, स्वतंत्र कभी न रहे''**?

जब ये बातें कही गई थीं, तब से अब तक नदियों में बहुत सारा पानी बह चुका है। आज लड़कियाँ पढ़-लिख रही हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। राजनीति, प्रशासन, कला-संस्कृति, सुरक्षा, नागरिक सेवाएँ, तकनीक-कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के झंडे नहीं गाड़े हैं! लेकिन इस सबके बावजूद क्या उन्हें उसी आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीने का स्वाभाविक अधिकार मिल सका है, जिस आजादी के साथ एक पुरुष जीता है?

क्या एक स्वतंत्र स्त्री आज भी हमें असहज नहीं कर देती? और हमारी यह असहजता कभी उसके फैशन, कभी कपड़ों, कभी उसके संगी-साथियों, कभी देर से घर लौटने और कभी उसके खान-पान को लेकर हमारी टिप्पणियों में व्यक्त होती है। याद कीजिए पटना का वह कुख्यात प्रसंग, जिसमें कथित रूप से एक लेखक ने एक युवा लेखिका के साथ अनुचित व्यवहार किया था। तब अधिकांश टिप्पणियाँ इस आशय की आई थीं कि उस युवा लेखिका ने मद्यपान किया हुआ था। पुरुष का मद्यपान हमें असहज नहीं करता, लेकिन अगर स्त्री करे तो जैसे पुरुष समाज को उसके साथ अवांछित हरकत करने का लाइसेंस मिल जाता है। हमारा समाज यह दोहरा मापदंड क्यों अपनाता है?

जब भी किसी स्त्री, चाहे वह किसी भी वय की क्यों न हो, के साथ कोई अनुचित हरकत होती है, हम उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। और हमारी यह चिंता इस रूप में व्यक्त होती है कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, सुनसान रास्तों पर नहीं जाना चाहिए, देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अगर पुरुषों का साथ हो तो उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, वगैरह। सोचने की बात है कि ये उसकी सुरक्षा के प्रावधान हैं या उस पर लगाई गई बंदिशें? आखिर क्यों सारी अपेक्षाएँ स्त्री से ही की जाती हैं? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा या सुना कि पुरुषों को स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या उनके लिए भी कोई आचार-संहिता कहीं मौजूद है? और अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है?

मेरा मूल सवाल यह है कि क्या हम अपनी स्त्री, अपनी बहन, अपनी बेटी को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं? उसे हम जो स्वतंत्रता देना चाहते हैं, क्या वह वास्तव में स्वतंत्रता है या हमारी मान्यताओं, पूर्वाठाहों और सामाजिक सुविधा के अनुरूप तय की गई सीमित स्वतंत्रता-इतना तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं?

इससे आगे की बात। अगर कभी किसी स्त्री के साथ कुछ अनुचित घटित हो जाए, तो यह क्यों मान लिया जाता है कि उसका पूरा परिवार कलंकित हो गया है? अधिकांश मामलों में स्त्री की कोई गलती नहीं होती, वह तो पीड़िता होती है, लेकिन उसके पीड़ित होने का दंश उसके पूरे परिवार को झेलना पड़ता है–यह कितनी बड़ी विडम्बना है!

हमारे समाज की एक बहुत बड़ी व्याधि है–मोरलपुलिसिंग। यह हमारा बड़ा प्रिय शगल है कि हम हर स्त्री को, चाहे उससे हमारा कोई लेना-देना हो या न हो, नैतिकता के अपने मानदंडों पर परखते रहते हैं! कोई लड़की अगर किसी लड़के के साथ नजर आई है तो क्यों आई है? उसका उसके साथ क्या रिश्ता है? किसी ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कोई लड़की देर रात घर क्यों आती है? क्यों वह सहज होकर किसी से भी बात कर लेती है? अगर वह मोबाइल पर बात कर रही है तो किससे कर रही है? और दुखद बात यह है कि हमारी यह मोरलपुलिसिंग केवल मौखिक नहीं रहती। वैलेंटाइन डे पर इसका एक रूप देखने को मिलता है और जमुई प्रकरण में इसी का क्रूरतम रूप देखने को मिला है।

मैं तो कहना चाहूँगा कि जमुई कांड में उन गुंडों ने जो हरकत की, कमोबेश वही हरकत हममें से अधिकांश भी करते हैं–बस उसका रूप थोड़ा माइल्ड होता है। क्या हम कभी खुद से यह सवाल पूछते हैं कि हम किसी के निजी जीवन पर टीका-टिप्पणी करने वाले होते कौन हैं? यह हक हमें किसने दिया है? और यह भी कि यह मोरलपुलिसिंग केवल स्त्रियों के मामले में ही क्यों होती है? बहुत दुखद यह भी है कि ऐसा करने वालों में पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ भी शामिल होती हैं। वे भले ही सड़क पर आकर गुंडागर्दी न करें, अपनी वाणी से वे भी वैसा ही करती हैं जैसा बहुत सारे पुरुष करते हैं। असल में यह पीढ़ियों से चली आ रही हमारी सामाजिक मानसिकता की परिणति है और दुर्भाग्य से इस मानसिकता को बदलने के सार्थक प्रयास बहुत ही कम हुए हैं।

कहा जा सकता है कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए हमारे पास पर्याप्त कानून बने हुए हैं और अगर कोई किसी भी तरह की अवांछित हरकत करता है तो उसके लिए सजा के पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। इस बात से असहमत नहीं हुआ जा सकता। लेकिन इसी के साथ यह भी जानना होगा कि कानून की भूमिका दुष्कृत्य हो जाने के बाद प्रारंभ होती है। फिर, एक तो यह कि कानून को लागू करने का दायित्व जिनका है, क्या उनकी मानसिकता स्वस्थ है? आए दिन न्यायपालिका के बड़े लोगों के ऐसे वक्तव्य पढ़ने को मिलते हैं, जो इस सवाल का जवाब 'नहीं' में देते हैं। उनका स्वर भी कई बार यही होता है कि दोष तो स्त्री का है। दूसरी बात यह कि केवल कानून का होना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे प्रयत्नों की भी जरूरत है जो पुरुषों को संवेदनशील बनाएँ और स्त्रियों की स्वतंत्रता का सम्मान करना सिखाएँ। स्त्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल स्त्री की नहीं हो सकती। जिस समाज में पुरुष और स्त्री दोनों रहते हैं, उस समाज की जिम्मेदारी दोनों की है।

हो सकता है इन बातों का एक अर्थ यह निकाल लिया जाए कि हम स्त्री को विशेषाधिकार देने की बात कर रहे हैं। नहीं। यह सच नहीं है। हम तो उसके लिए बराबरी के दर्जे के समर्थक हैं। पुरुष के लिए आजादी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी वह स्त्री के लिए भी होनी चाहिए–उससे तनिक भी कम नहीं। जैसे किसी पुरुष का रात दो बजे घर लौटना असामान्य नहीं माना जाता, वैसे ही स्त्री का भी देर से घर लौटना असामान्य न समझा जाए। अगर वह किसी से बात कर रही है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि जिससे वह बात कर रही है, वह उसका क्या लगता है। अगर वह किसी के साथ घूम रही है तो हमें सबसे पहले उसके चरित्र की पड़ताल करने की जरूरत क्यों महसूस होनी चाहिए?

मेरा मूल सवाल यह है कि क्या हम अपनी स्त्री, अपनी बहन, अपनी बेटी को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं? उसे हम जो स्वतंत्रता देना चाहते हैं, क्या वह वास्तव में स्वतंत्रता है या हमारी मान्यताओं, पूर्वाठाहों और सामाजिक सुविधा के अनुरूप तय की गई सीमित स्वतंत्रता–इतना तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं?

हमें यह सोचना होगा कि क्या पुरुष के मामले में भी हमारी सोच ऐसी ही होती है। अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

शायद स्त्री को स्वतंत्र देखने से पहले हमें अपनी दृष्टि को स्वतंत्र करना होगा।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

संविधान स्याही से नहीं, रक्त से लिखा जाता है: संवैधानिक नैतिकता और संस्थागत गरिमा

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

हाल के दिनों में निर्वाचन आयोग चर्चा में है और यह प्रकरण संस्था की छवि तथा उसकी वैधता को कमजोर करने के प्रयासों के संदर्भ में सामने आया है। यह पूरा प्रकरण हमें स्मरण कराता है कि शांति की नैतिकता, युद्ध की नैतिकता और संविधान की नैतिकता-इन तीनों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, यह विवादद इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद उत्पन्न हुआ, जिसमें निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के कथित विचारों के संबंध में यह कहा गया कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णय-प्रक्रिया में लोकतांत्रिकता का अभाव था। दो निर्वाचन आयुक्तों को इस बात का लाभ नहीं दिया जा सकता कि उन्हें असहमति व्यक्त करने का तरीका ज्ञात नहीं था, क्योंकि असहमति व्यक्त करने का तरीका और उसके लिए चुना गया समय दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। किंतु गोपनीय पत्राचार को मीडिया के साथ साझा करना किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी संस्था का मीडिया ट्रायल आमंत्रित करने के समान है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, चाहे वह व्यक्तिगत दुर्भावना, अज्ञानता अथवा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो, संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर न छोड़ें।

यह प्रसंग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की उन प्रसिद्ध टिप्पणियों की याद दिलाता है, जो उन्होंने 4 नवंबर 1948 को भारत में संवैधानिक नैतिकता के अभाव के संदर्भ में की थीं। उन्होंने ग्रोटे को उद्धृत करते हुए कहा था: "संवैधानिक नैतिकता का प्रसार केवल किसी समुदाय के बहुमत में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज में होना स्वतंत्र और शांतिपूर्ण शासन की अनिवार्य शर्त है; क्योंकि कोई भी शक्तिशाली और हठी अल्पसंख्यक, अपने लिए प्रभुत्व स्थापित करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हुए बिना भी, किसी स्वतंत्र संस्था के सुचारु संचालन को असंभव बना सकता है।"

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ग्रोटे के अनुसार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है: "संविधान के स्वरूपों और प्रक्रियाओं के प्रति सर्वोच्च श्रद्धा; उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत और उनकी सीमाओं में कार्य करने वाले प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता; साथ ही खुले रूप में अपनी बात कहने की आदत, ऐसी कार्रवाई जो केवल निश्चित कानूनी नियंत्रण के अधीन हो, और उन प्राधिकारियों के सभी सार्वजनिक कार्यों की निर्बाध आलोचना का अधिकार। इसके साथ ही, दलगत संघर्ष की कटुता के बीच प्रत्येक नागरिक के मन में यह पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए कि संविधान के स्वरूप और उसकी पवित्रता उसके विरोधियों की दृष्टि में भी उतनी ही सुरक्षित रहेगी, जितनी उसकी अपनी दृष्टि में।"

यह उचित रूप से कहा जाता है कि किसी संवैधानिक पद पर नियुक्ति, विशेषकर ऐसे पद पर जिसमें राष्ट्रीय उत्तरदायित्व निहित हो, व्यक्ति के चरित्र और योग्यता की न्यूनतम कसौटी को पूरा करनी चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र वाला व्यक्ति सदैव राष्ट्र को सर्वोपरि रखेगा और व्यक्तिगत शिकायतों से ऊपर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखेगा।इसे निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जहाँ निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्तश्री ज्ञानेश कुमारकी कथित तानाशाही के आरोपों में कोई सत्यता है, तो दोनों निर्वाचन आयुक्तों को निर्णय तक पहुँचने के समय तैयार की गई नोटशीट में दर्ज अपने असहमति के विचारों का उल्लेख करना चाहिए। अत: सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए गए इन आरोपों को स्थापित तथ्य के रूप में स्वीकार करने के बजाय उनकी गंभीरता से जाँच और परीक्षण आवश्यक है।इस विवाद के कारण विपक्षी दलों नेमुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफेकी माँग भी की है। इसने विपक्षी दलों को एक तैयार मुद्दा उपलब्ध करा दिया है। ऐसी माँगें राजनीतिक विमर्श की गुणवत्ता और स्तर पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं।

एक छद्म युद्ध प्रारंभ हो गया है। विपक्षी नेतृत्व की राजनीतिक विफलता का आरोप निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अतीत में और के संबंध में उठाए गए प्रश्नों को पुन: उठाया जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व इस आत्मावलोकन में विफल दिखाई देता है कि और से संबंधित विषय न्यायिक परीक्षण के अधीन रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में इन पर विचार किया जा चुका है। विपक्षी दलों का यह दृष्टिकोण कि वे कानून और संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर हैं, विधि के शासन के प्रति अत्यंत निम्न स्तर के सम्मान को प्रतिबिंबित करता है। यह कहा जाता है कि विधायिका के लिए लक्ष्मण रेखा के रूप में मूल संरचना सिद्धांत है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय नेकेशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया और जो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संवैधानिक सीमाओं को सुनिश्चित करता है। लेकिन जब राजनेताओं द्वारा राष्ट्रीय महत्व के विषयों और संस्थाओं के साथ व्यवहार करने की बात आती है, तब उनकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है?

सत्ता प्राप्त करने की अधीरता में राजनीतिक दल कभी-कभी ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक औचित्य तथा सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक विमर्श में आत्म-संयम को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ओर रख दिया जाता है। विपक्ष को यह स्मरण रखना चाहिए कि वह जितना संविधान में विश्वास रखेगा, उतना ही जनता का विश्वास संविधान में बना रहेगा। संवैधानिक संस्थाओं की वैधता और प्रतिष्ठा एक दिन में निर्मित नहीं होती। टी.एन. शेषन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग की शक्ति और भूमिका को जिस प्रकार प्रदर्शित किया, वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है।असहमति का अधिकार प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक राजनीतिक दल का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। संविधान स्वयं इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष-दोनों के लिए आचार-संहिता आवश्यक है और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, विशेषकर निर्वाचन आयोग, के साथ व्यवहार करते समय अत्यधिक आत्म-संयम की अपेक्षा की जाती है। अंतत: लॉरेंस एच। ट्राइब की उस प्रसिद्ध पंक्ति को स्मरण करना सदैव उपयोगी है-संविधान स्याही से नहीं, बल्कि रक्त से लिखा जाता है।

–सूर्य प्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बनी सुखी के लिए संबल

विकसित भारत-जन सेवा अभियान-2026 : वर्षों से लंबित विद्यालय भूमि के पट्टे का मामला भी हुआ निस्तारित

आकांक्षा

प्रदेशभर में महत्वाकांक्षी विकसित भारत-जन सेवा अभियान-2026 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित किया जा रहा है। जनकल्याण, सामाजिक सरोकार और सुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस एक माह के अभियान के माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रदेश को समृद्ध एवं विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

अभियान के प्रभाव का एक प्रेरक उदाहरण जोधपुर के मंडोर स्थित डाईकड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में देखने को मिला, जहां स्थानीय पशुपालक सुखी के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संबल बनी। अपने पशुधन की असामयिक मृत्यु से दु:खी सुखी पत्नी हरलाल को शिविर में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत तत्काल 27 हजार रुपये की बीमा दावा राशि प्रदान की गई। सुखी ने अपने पशुधन का योजना के तहत बीमा करवाया था, जिससे उन्हें आर्थिक संकट से राहत मिली। भावुक सुखी ने बताया कि 27 हजार रुपये की यह राशि उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद है। उन्होंने बताया कि वह इस राशि को बैंक ऋण के साथ मिलाकर भैंस खरीदने और अपनी डेयरी आय को बढ़ाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हम जैसे छोटे पशुपालकों के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया।

इसी शिविर में लंबे समय से लंबित एक अन्य मामले का भी मौके पर निस्तारण किया गया। अधिकारियों ने भूमि अभिलेखों की गहन जांच करते हुए डाईकड़ा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के वर्षों से लंबित मामले का त्वरित निस्तारण किया और मौके पर ही विद्यालय की भूमि का बहुप्रतीक्षित पट्टा जारी किया। पट्टा जारी होने से विद्यालय की भूमि के अधिकार सुनिश्चित हो गए हैं। इससे विद्यालय में नए कक्ष-कक्षों, सुरक्षित चारदीवारी और आधुनिक खेल मैदानों के निर्माण के साथ-साथ विभिन्न राज्य प्रायोजित विकास योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। वर्षों से लंबित इस मामले का मौके पर ही समाधान होने से ग्रामीणों और विद्यालय प्रशासन में खुशी का माहौल है।

अनिशा

–आकांक्षा (पीआरओ)
जोधपुर,
अनिशा (यंग मीडिया सहायक)

सेवा संकल्प अभियान-सेवा सेतु अभियान शिविर

अभियान के माध्यम से विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय संकल्प से युवाओं को जोड़ा जा रहा है

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल होने पर समूचे देश में सेवा संकल्प अभियान का आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभियान के माध्यम से विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय संकल्प से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। आज देश 2047 के भारत के सपने को साकार करने के लिए रोडमैप बनाकर आगे बढ़ रहा है। 2047 इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1947 में देश आजाद हुआ था और 2047 में देश स्वतंत्रता शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य 2047 आते आते भारत विकासशील देष नहीं अपितु विकसित देशों की कतार में शामिल हो जाए। एक जिला एक उत्पाद, वोकल फार लोकल, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, युवाओं को एंटरप्रोन्योर बनाने का संकल्प, देश को आत्मनिर्भरता की और ले जाने और भारत दुनिया के देशों के सामने सिर उंचा उठाकर देख सकें और यह सपना कि भारत दुनिया के देशों का नेतृत्व करने की स्थिति में आएं इस लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में भारत अपनी पहचान और छाप छोड़ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने के दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो आज रक्षा उपकरणों तक का प्रमुख निर्यातक देश बन गया है।

दरअसल देखा जाएं तो सेवा संकल्प अभियान इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अभियान के माध्यम से देश में एक इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है कि देश विकसित भारत 2047 के दूरगामी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा समठा विकास के संकल्प के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी ही नहीं अपितु योजनाओं और कार्यक्रमों से सीधे लाभान्वित करने के संकल्प के साथ आयोजन हो रहे हैं। यह आयोजन किसी एक स्थान या एक प्रदेष में ना होकर देशव्यापी अभियान हो रहा है। निश्चित रुप से इसका लाभ देषवासियां को प्राप्त होगा।

सेवा संकल्प अभियान के क्रम में ही राजस्थान में भी 26 सितंबर से 28 सितंबर तक सेवा सेतु अभियान शिविरों का गिरदावर सर्कल स्तर तक आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का लाभ आम प्रदेशवासियों तक पहुंचाने के लिए ही राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी-बिजली सहित सीधे आम जनता से जुड़े 22 से अधिक संबंधित विभागों की शिविरों में भागीदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्वयं समीक्षा कर रहे हैं तो मुख्य सचिव वी श्री निवास द्वारा मोनेटरिंग की जा रही है। शिविरों में सीधे आम जन से जुड़े बिन्दुओं को शामिल किया गया है जिससे प्रदेशवासियों को शिविर के दौरान ही लाभान्वित किया जा सके। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व खातों के शुद्धिकरण से लेकर नामांतरण, रास्ते संबंधित विवाद, सीमाज्ञान, अतिक्रमण हटाने आदि आदि प्रकरणों के निस्तारण को शामिल किया गया है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण से लेकर रोगों की स्क्रीनिंग, टीबी जांच पोषण किट आदि, कृषि और पशुपालन द्वारा पशु चिकित्सा शिविर, टीकाकरण, बीमा, किसानों की कृषि संबंधित योजनाओं और मृदा परीक्षण जैसे कार्यों को शामिल किया गया है। फूड एवं सिविल सप्लाई द्वारा आधार सीडिंग, ईकेवाईसी सहित अन्य कार्य, ग्रामीण विकास द्वारा अन्य के साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन, स्वच्छता गतिविधियों को शामिल किया गया है। विद्युत और जलदाय से संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ ही इनसे जुड़ी अन्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा के तहत पीएम जनधन योजना से लेकर अन्य सभी योजनाओं से जोड़ने सहित अन्य कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृति, पालनहार योजना, विद्यालयों से भूमि संबंधित आदि आदि कार्य और महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी व लाभ पहुंचाया जा रहा है। इन सबके साथ ही श्रमिक टूलकिट वितरण, पूर्व सैनिकों से संबंधित कार्य, दिव्यांगों को रोडवेज पास के साथ ही अन्य आवश्यक प्रकरणों को इन शिविरों में निपटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलान शर्मा के व्यक्तिगत फोकस से एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि सेवा सेतु अभियान अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रहेगा और निश्चित रुप से इसका लाभ गॉव-ढ़ाणी में बैठे दूरदराज के लोगों तक पहुंच पायेगा। इसके साथ ही जिस पवित्र लक्ष्य के साथ सेवा सेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है इसका लाभ आम प्रदेशवासियों तक पहुंच सकेगा।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 28 सितम्बर, 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, सोमवार, विक्रम संवत-2083, रेवती नक्षत्र प्रात: 10:16 तक, ध्रुव योग प्रात: 8:54 तक, तैतिल करण प्रात: 8:06 तक, चन्द्रमा आज दिन 10:16 से मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज अशून्य शयन व्रत, द्वितीया का श्राद्ध है। पंचक दिन 10:16 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– सूर्योदय से 7:50 तक, चर 9:19 से 10:48 तक, चर 1:47 से 3:16 तक, लाभ अमृत 3:16 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल– 7:30 से 9:00 तक, सूर्योदय 6:21, सूर्यास्त 6:14

मेष

मानसिक तनाव दूर होगा। मन: स्थिति में सुधार होगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष

घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा। मित्रों/रिश्तेदारों से वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

मिथुन

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है और आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

सिंह

व्यावसायिक प्रायासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता एवं आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

कन्या

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज यात्रा में दुर्घटना का भय है।

तुला

विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

वृश्चिक

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण आज स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

धनु

घर-परिवार में आपसी वाद-विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

मकर

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मीन

परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। आज मानसिक तनाव दूर होगा।